रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 1973/अग्रहायण 22, 1895

No. 293] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 1973/AGRAHAYANA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th December 1973

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 183/73-CE, dated 22nd September, 1973, the Central Government hereby exempts Chinaware and Porcelainware, falling under Item No. 23B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding rupees three lakhs cleared for home consumption, on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of the manufacturer from one or more factories, from the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(i) this exemption shall not apply to any such Chinaware and Porcelainware manufactured by a manufacturer if the total value of the Chinaware and Porcelainware so cleared by such manufacturer during such financial year exceeds rupees three lakhs;

(ii) where a factory producing Chinaware and Porcelainware, is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of such Chinaware and Porcelainware, so cleared from such factory and in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees three lakhs:

Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 13th December, 1973 and ending

on the 31st March, 1974, Chinaware and Porcelainware upto a value not exceeding rupees one lakh, subject to the condition that the value of Chinaware and Porcelainware cleared for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during that period does not exceed rupees one lakh.

Explanation.—In computing the value under this Notification, where a manufacturer gets his Chinaware and Porcelainware, fired in a kiln belonging to or maintained by a Pottery Development Centre run by the Central Government or a State Government or by the Khadi and Village Industries Commission, the value of the Chinaware and Porcelainware belonging to the said manufacturer and fired in such a kiln shall be taken into account.

[No. 208/73]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1973

सा०का०नि० 520(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 183/73-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 23(ख) के अन्तर्गत आने वाले तीन लाख रुपए से अनधिक मूल्य के चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों को, जिनकी निकासी एक या अधिक कारखाने से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात गृह-उपयोग के लिए की गई हो, उन पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देती है—

परन्तु—

(i) यह छूट किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे किन्हीं चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों को लागू नहीं होती है यदि ऐसे वित्तीय वर्ष में उस विनिर्माता द्वारा इस प्रकार निकासी किए गए ऐसे चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों का कुल मूल्य तीन लाख रुपए से अधिक हो;

(ii) जहां चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो वहां ऐसे कारखाने से और ऐसे किसी वर्ष में शुल्क की शून्य दर से इस प्रकार निकासी किए गए उक्त चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों का मूल्य तीन लाख रुपए से अधिक न हो।

परन्तु यह और कि विनिर्माता को 13 दिसम्बर, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह-उपभोग के लिए एक लाख रुपए से अनधिक मूल्य के उक्त चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए निकासी करने की अनज्ञा दी जाएगी कि उस अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या

उसकी ओर से गृह-उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों का मूल्य एक लाख रुपए से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के अधीन संगणना करते समय, जहां कोई विनिर्माता अपने चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाए जाने वाले मृद्भाण्ड विकास केन्द्र के या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी भट्टी में पकाता हो, वहां उक्त विनिर्माता के चीनी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के बर्तनों का, जो ऐसे भट्टी में पकाए गए हों, मूल्य गणना में लिया जाएगा ।

[सं० 208/73]

एस० के० घोशाल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978